संख्याः पीएलजी (ईएपी) 1–2/2010–11
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश,
शिमला–171002.

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
   हिमाचल प्रदेश सरकार ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   हिमाचल प्रदेश ।

3. प्रबन्धक निदेशक / अध्यक्ष,
   सभी लोक उपक्रम, हि0प्र0 ।

दिनांकः शिमला–2 13 अप्रैल, 2010

विषयः– **हिमाचल प्रदेश में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्तावों के बारे में पद्धति ।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान योजना विभाग के पत्र संख्याः पीएलजी–एफसी (एफ) 9–1/79 दिनांक 04 जुलाई, 1995 (प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित करने का निर्देश हुआ है ।

2. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को राज्य सरकार के अनुमोदन की पद्धति का विस्तृत उल्लेख उपरोक्त वर्णित संलग्न पत्र में दिया गया है । इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के रूपरेखा पत्र बनाये जाने के पश्चात इसे सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन प्राप्त करके योजना विभाग को भेजा जाना चाहिए तथा योजना विभाग राज्य की प्राथमिकताएं, सकल योजना परिव्यय व अन्य मुद्दों पर समुचित परीक्षण करके रूपरेखा पत्र पर अपनी सहमति वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन सहित सम्बन्धित विभाग को भेजेगा ।

जारी पृ0...2...

3. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 6-4-2010, सांय 4.00 बजे, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आये कि कई विभाग बाह्य सहायता परियोजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार / डोनर एजैंसी को योजना एवं वित्त विभागों की पूर्व सहमति के बिना ही भेज रहे हैं । जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य का अंशदान (State Share) उपलब्ध करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

4. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उपरोक्त बैठक में निर्देश दिए कि योजना विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों की प्रति अनुपालना हेतु पुनः सभी सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की जाए तथा सभी विभाग बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार / डोनर एजैंसी को प्रस्तावित करने से पूर्व योजना एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

5. अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अनुकम्पा करें ।

भवदीय,

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश,
शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या:यथोपरि । दिनांकःशिमला-2, 13 अप्रैल,2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजि सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
2. निजि सचिव, प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
3. निजि सचिव, प्रधान सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश,
शिमला-171002.

तुरन्त
निजी ध्यानार्थ

संख्या:पीएलजी-एफसी(एफ)9-1/79
हिमाचल प्रदेश सरकार
"योजना विभाग"

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव(योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-2.

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
हि. प्र. सरकार,

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
हि. प्र. ।

3. प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष,
सभी लोक उपक्रम, हि. प्र. ।

दिनांक, शिमला-2, 4 जुलाई ,1995.

विषयः- हिमाचल प्रदेश में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्तावों के बारे में पद्दति ।

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात ही है, राज्य की योजना के वित्त प्रबन्ध में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार को न केवल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से पंचवर्षीय व वार्षिक योजना आकारों में वृद्दि की सम्भावना उपलब्ध होती है अपितु साथ ही साथ कई सारे मामलों में नई टैक्नोलाजी तथा विकास के अन्य प्रबन्धों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है । हिमाचल प्रदेश में पांचवी पंचवर्षीय योजना से अब तक बहुत सी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं जिनमें विश्व बैंक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा बहुत से देशों से द्विपक्षीय सहायता की परियोजनाएं प्रमुख हैं ।

2. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करते समय हमें राज्य स्तर पर यह आश्वासित करना होता है कि परियोजनाएं स्थानीय प्राथमिकता के ढांचे पर खरी उतरें तथा साथ ही साथ इन परियोजनाओं के माध्यम से वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में कोई ऐसे परिवर्तन न हो जाएं जिनके परिणामस्वरूप आने वाले समय में राज्य सरकार पर प्रशासनिक दायित्वों का अवांछित बोझ बढ़े । या फिर ऐसा न हो कि इससे प्राप्त होने वाले वित्तीय-लाभ केवल नाम-मात्र रह जाएं ।

3. यद्यपि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को राज्य सरकार के अनुमोदन की पद्दति के बारे में योजना विभाग से समय-समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं, तथापि राज्य सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अधिकांश मामलों में सम्बन्धित विभाग इन आदेशों की वांछित अनुपालना नहीं कर रहे हैं ।

4. इस पत्र के माध्यम से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी विभाग द्वारा जब किसी परियोजना को बाह्य सहायता के लिए प्रायोजित अथवा प्रेषित करना हो तो

-2-

निम्न पदति अपनाई जानी आवश्यक होगीः-

सामान्यः

§1§ बाह्य सहायता देने वाली संस्थाओं द्वारा समय-समय पर जो दिशा-निर्देश राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए हों तथा जिनकी दृष्टिगत कोई भी योजना/प्रोजेक्ट त्यार किया जाए, प्रशासी विभाग उनका उल्लेख विस्तृत रूप से पृष्ठभूमि के तौर पर करेगा ।

परियोजना रूप रेखा स्तरः

§2§ उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित विभागों द्वारा सर्वप्रथम एक रूप-रेखा पत्र तैयार करना होगा जिसमें कि निम्न मदें स्पष्ट रूप से उभरनी चाहिएंः-

क. परियोजना किस बाह्य सहायता प्रदान करने वाली संस्था को प्रायोजित की जानी है, इसके बारे में स्पष्ट प्रस्ताव होना चाहिए ।

ख. प्रस्तावित परियोजना के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिएं विशेषकर इससे होने वाले प्रशासनिक व वित्तीय लाभ का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए ।

ग. प्रस्तावित परियोजना सकल राज्य योजना की प्राथमिकता के अनुरूप होनी चाहिए ।

घ. परियोजना के लिए प्रारम्भिक निवेश अनुमान क्या है, इनमें से मोटे तौर पर फितना वित्त प्रबन्ध बाह्य सहायता के माध्यम से तथा कितना सामान्य राज्य योजना के माध्यम से किया जाना है, इसका विवरण होना चाहिए।

ड. प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वियन काल/अवधि कितनी है, इसका विवरण होना चाहिए ।

च. विभाग द्वारा यह परीक्षण पहले ही कर लिया जाना चाहिए कि अनुमोदित पंचवर्षीय योजना परिव्ययों के अन्तर्गत क्या प्रस्तावित परियोजनाओं को विभाग द्वारा समायोजित किया जा सकेगा अथवा नहीं ? यदि परियोजनाओं को स्वीकृत परिव्ययों के अन्दर समायोजित करना अथवा सजातीय चालू स्कीमों को प्रस्तावित परियोजना में समेकित करना सम्भव न हो तो विभाग द्वारा इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए ।

§3§ विभाग द्वारा रूपरेखा पत्र के उपरोक्त के अनुसार बनाए जाने के पश्चात् इसे सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन प्राप्त करके योजना विभाग को भेजा जाना चाहिए तथा योजना विभाग राज्य की प्राथमिकताएं, सकल योजना परिव्यय व अन्य मुदों पर समुचित परीक्षण करके रूपरेखा पत्र पर अपनी सहमति वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन सहित सम्बन्धित विभाग को भेजेगा ।

परियोजना रिपोर्ट प्रारूप स्तरः

§4§ इसके पश्चात् विभाग एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें कि विभाग वांछित तकनीकी विशेषज्ञों इत्यादि के माध्यम से विवरण तैयार करवाएगा । विस्तृत विवरण तैयार करते समय विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित परियोजना में विभिन्न components की लागतें वास्तविकता के निकटतम हो तथा ऐसा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो Pilot अध्ययन पहले करवा दिये जाने चाहिएं । विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में सभी विभागों को सामान्यतः यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में और स्टाफ जोड़ने के प्रस्ताव इन परियोजनाओं के माध्यम से न करें तथा वर्तमान स्टाफ के माध्यम से ही इनके कार्यान्वियन हेतु प्रस्ताव बनाएं । ऐसा स्टाफ जो परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए प्रस्तावित हो, उसके प्रशासनिक व्ययों का समुचित समेकन प्रस्तावित परियोजना रिपोर्ट में किया जाना चाहिए। इसके इलावा मूल्य वृद्धि इत्यादि के वांछित अनुमान भी लागतों में सम्मिलित किए जाने चाहिएं।

§5§ परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करते समय विभागों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्थानीय समस्याओं के पूर्णतया दृष्टिगत सकल एवं वार्षिक वित्तीय आकार तथा निवेश प्रस्तावित करें क्योंकि हमारा पूर्वानुभव यह रहा है कि हम बाह्य सहायता देने वाली एजेंसियों से सामान्यतया अधिक राशि commit करवा लेते हैं । परियोजना कार्यान्वियन

के दौरान उसका पूर्ण उपयोग न हो तो बाद में ऐसी राशि की राज्य सरकार के पक्ष से De-obligation हो जाती है । इसके दो कुप्रभाव राष्ट्रीय व राज्य की अर्थ व्यवस्था पर पड़ते हैं । केन्द्र सरकार को जहां एक ओर सारी commit की गई राशि पर commitment charges देने पड़ते हैं तथा दूसरी ओर भारत सरकार के तथा बाह्य सहायता देने वाली संस्था के सामने राज्य सरकार की छवि ठीक नहीं उभरती है। अतः विभागों को यह चाहिए कि वे परियोजना आकार लगभग वास्तविकता के निकट ही प्रायोजित करें ।

§6§ विस्तृत परियोजना प्रारूप में प्रस्तावित परियोजना का भौगोलिक क्षेत्र, उससे होने वाले लाभ तथा उनके सम्बन्धित भौतिक लक्ष्य व परियोजना के प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभों का पूरा विवरण उसमें होना चाहिए ।

§7§ आर्थिक क्षेत्रों तथा अधोसंरचना विकास के लिए जो भी परियोजनाएं प्रस्तावित की जानी हों, उन प्रस्तावों में परियोजना की आर्थिक व वित्तीय viability अवश्य दर्शाई जानी चाहिए । अन्यथा, ऐसी परियोजनाओं को भारत सरकार को प्रेषित करना सम्भव न होगा ।

§8§ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सम्बन्धित विभाग अपने प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन लेकर इसे योजना विभाग को प्रेषित करेगा । योजना विभाग प्रस्तावित परियोजनाओं का समुचित परीक्षण करके तथा इन प्रस्तावों पर वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करके इन्हें सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को लौटाएगा तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग इन प्रस्तावों पर मन्त्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

भारत सरकार को प्रेषण/सहायता देने वाली एजैंसी से समन्वयः

§9§ मन्त्री परिषद् के अनुमोदनोपरांत सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अंततोगत्वा अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार में सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग को प्रेषित करेगा तथा इसकी एक-2 प्रति योजना व वित्त विभाग को प्रेषित करेगा ।

§10§ उपरोक्त प्रक्रिया के सम्पूर्ण होने के पश्चात् सम्बन्धित विभाग बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित एजैंसी को सम्पर्क करेगा तथा जब कभी भी परियोजना प्रस्तावों पर बाह्य सहायता देने वाली एजैंसी अथवा उन द्वारा नामित Appraisal Mission अथवा Consultants के साथ कोई बातचीत होगी तो उस चर्चा में योजना व वित्त विभाग के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा ।

परियोजना समझौता ज्ञापनः

§11§ बाह्य सहायता देने वाली एजैंसी से अनुवर्ती विचार-विमर्श के पश्चात् जो भी परियोजना रिपोर्ट अथवा परियोजना का स्वरूप बने, उस पर राज्य सरकार का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा । ऐसे अनुमोदन के पश्चात् ही अन्तिम समझौते के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता मान्य होगी तथा परियोजना का कार्यान्वयन आरम्भ किया जा सकता है । यदि बाह्य सहायता देने वाली संस्था के साथ विचार-विमर्श/चर्चा के उपरान्त परियोजना प्रस्तावों में कोई आधारभूत परिवर्तन हो जाते हैं तो उन पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना सम्बन्धित विभाग किसी प्रकार की प्रतिबद्धता सहायता देने वाली संस्था से नहीं करेगा । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना रिपोर्ट में यदि कोई आधारभूत परिवर्तन करने हों तो उन पर योजना व वित्त विभाग का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना भी आवश्यक होगा ।

47

§12§ योजना आयोग को राज्य के पंचवर्षीय अथवा वार्षिक योजना प्रस्ताव भेजते समय यह प्रशासी व योजना विभागों का दायित्व होगा कि सभी चालू अथवा प्रस्तावित बाह्य सहायता के लिए प्रेषित परियोजनाओं के लिए समुचित वित्त प्रबन्ध विभागीय योजनाओं में प्रावधित किए जाएं ।

Foreign Missions के साथ बातचीत की पद्धतिः

§13§ सामान्यतया विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि विदेशी मिशनों के साथ बैठकें उसी स्तर के अधिकारियों से करवाएं जिस स्तर के अधिकारी मिशन में हों । बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्तावों में यह सामने आया है कि जब भी विदेशी Appraisal Mission अथवा सहायता देने वाली संस्थाओं द्वारा नामित Consultant राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के लिए आते हैं तो कई बार ऐसे मिशनों को माननीय मुख्यमन्त्री अथवा प्रभारी मन्त्री से विभाग मिलवा देता है । §मन्त्री स्तर पर यद्यपि इन बैठकों को केवल अनौपचारिक समझा जाता है तथापि विदेशी मिशन इन बैठकों में व्यक्त किए गए विचारों को स्थानीय सरकार की नीति मान लेते हैं तथा बाद में परियोजना कार्यान्वियन के दौरान राज्य सरकार को संकट का सामना करना पड़ सकता है § अतः उचित यह होगा कि ऐसे मिशन अपनी बैठकें केवल उसी अधिकारी स्तर तक ही सीमित रखें जिस स्तर के अधिकारी विदेशी मिशन में हों ।

5· आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन करें तथा यदि किसी स्तर पर किसी विभाग द्वारा उपरोक्त पद्धति की अवहेलना की जाएगी तो ऐसी परियोजनाओं के वित्त प्रबन्ध के लिए योजना व वित्त विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और न ही ऐसी परियोजनाओं को योजना प्रारूपों में सम्मिलित किया जाएगा ।

6· कृपया इस पत्र की पावती भेजें तथा इससे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भी इन निर्देशों से सूचित करने की कृपा करें । यदि इस विषय पर आपके कोई भी व्यवहारिक सुझाव हों तो कृपया अधोहस्ताक्षरी या सलाहकार§योजना§ को भेज दें ।

भवदीय,

2·11·21

वित्तायुक्त एवं सचिव§योजना§,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-2·